



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092023-249006  
CG-DL-E-26092023-249006

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4062]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/आश्विन 4, 1945

No. 4062]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ ASVINA 4, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

सं. 33 / 2023

विषय: दिनांक 01.10.2023 से किए गए निर्यातों के लिए आरओडीटीईपी स्कीम को आगे बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 4230(अ).— विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 01.10.2023 से किए गए निर्यातों के लिए आरओडीटीईपी स्कीम के विस्तार को अधिसूचित करती है।

2. आरओडीटीईपी के तहत शामिल सभी मदों के लिए मौजूदा दरें दिनांक 01.10.2023 से 30.06.2024 तक किए गए निर्यातों के लिए लागू होंगी। तथापि, यह एफटीपी 2023 के पैरा 4.54 के तहत प्रदान किए गए बजटीय ढांचे के अधीन होगी ताकि चालू वित्तीय वर्ष के लिए छूट स्कीम का प्रबंधन अनुमोदित बजट के अंतर्गत किया जा सके।

**इस अधिसूचना का प्रभाव:** आरओडीटीईपी स्कीम दिनांक 01.10.2023 से किए गए निर्यातों के लिए आगे बढ़ाया गया है और यह 30.06.2024 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 01/61/180/155/एम21/पीसी-3 (भाग 1)]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce )****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2023

**No. 33/22023****Subject: Extension of RoDTEP scheme for exports made from 01.10.2023 - reg**

**S.O. 4230(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, the Central Government hereby notifies an extension of RoDTEP scheme for exports made from 01.10.2023.

2. The existing rates for all the items covered under RoDTEP will be applicable for exports made from 01.10.2023 to 30.06.2024. However, it would be subject to the budgetary framework as provided under Para 4.54 of FTP 2023 so that the remissions for current financial year are managed within the approved Budget of the Scheme.

**Effect of this Notification:** The RoDTEP scheme is extended for exports made from 01.10.2023 and shall be applicable till 30.06.2024.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC-3(Part1)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.